न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/08

1. मंजू पुत्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. लटूर पुत्र श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गोपी बाई पत्नी श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. सरोज पुत्री श्री कजोड पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. खानी पुत्री श्री कजोड पत्नी घनश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम दुगारी तहीसल नैनवा जिला बून्दी।
6. लाड बाई पुत्री श्री कजोड पत्नी श्री सत्यनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. ममता पुत्री श्री कजोड पत्नी श्री उम्मेद जाति गुर्जर निवासी हाल भगत सिंह चौराहा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नारायण पुत्र गोकल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. फौरक्या उर्फ रामप्रसाद पुत्र श्री पोखर जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुजरिया खेडा हाल निवासी ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. श्योजी पुत्र श्री धूला जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम माधोराजपुरा (भण्डेडा) तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार भू–स्वामी जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
5. सिंचाई विभाग द्वारा श्रीयुक्त सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजा महोविया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 एवं 02 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 15.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 24.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 55 में खसरा नम्बर 276 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 880/278 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार कृषक है । प्रार्थी ने उक्त भूमि 5–6 वर्ष पूर्व क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। ग्राम भण्डेडा में खसरा नम्बर 270 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 278 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 279 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा अप्रार्थी क्रम 01 के खातेदारी की है । ग्राम भण्डेडा में खसरा नम्बर 264 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा अप्रार्थी क्रम 2 लगायत 8 के खातेदारी में दर्ज है । ग्राम भण्डेडा में खसरा नम्बर 260 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजकीय चारागाह भूमि है । ग्राम भण्डेडा में ही गै0मु0 धौरा खसरा नम्बर 271 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 280 रकबा 15 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग अप्रार्थी क्रम 11 के खातेदारी में दर्ज है । खसरा नम्बर 272 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि अप्रार्थी क्रम 09 शौजी आत्मज धूला के खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि पर प्रार्थी पहुंचने के लिए ट्रेक्टर, ट्रोली ले जाने का एकमात्र रास्ता सरकारी रास्ते खसरा नम्बर 236 में होकर खसरा नम्बर 260 (चारागाह) में होकर खसरा नम्बर 263 की दक्षिणी मेर पर होकर खसरा नम्बर 264 व 265 के बीच की मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 270 व 264 की दक्षिणी मेर पर होकर उत्तर की तरफ मुडकर खसरा नम्बर 270 की उत्तरी मेर के सहारे–सहारे होकर धौरा खसरा नम्बर 280 में होकर खसरा नम्बर 272 व 279 के बीच की मेर पर होकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 277, 276 में प्रवेश करता है । प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने हेतु यही एकमात्र रास्ता है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है । उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में प्रार्थी ने लाल लाइनों के मध्य दर्शाया है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गै0मु0 धोरा खसरा नम्बर 271 व 280 विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से मौके पर मौजूद नहीं है । अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 8 ने चरण संख्या 05 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 260, 263 व 262 पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने, गाडी, बैल हल–कुली लाने ले जाने के लिए आम रास्ते खसरा नम्बर 236 में से खसरा नम्बर 260, 263 में होकर खसरा नम्बर 264 व 265 की मध्य की मेर पर होकर खसरा नम्बर 270 की मेर पर होकर एवं खसरा नम्बर 272 व 279 के मध्य की मेर पर होकर जिसे परिशिष्ट "क" में लाल लाईनों से दर्शाया गया है 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे में कायम किया जावे ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 2 लगायत 8, 9 एवं 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को प्रशासन गाँवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सादेडा में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर परिशिष्ट "क" में लाल लाईनों से दर्शाये गये अनुसार 2003.76 वर्गफीट भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 02 लगायत 08 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं है न ही यह 20 फीट चौडा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 अपने खाते की आराजी पर आने–जाने के लिये पूर्व से ही लघुत्तम मार्ग जो आराजी खसरा नम्बर 312 गै0मु0 रास्ते से होकर जाता है का उपयोग निरन्तर करता चला आ रहा है । इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत सुगम रास्ता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है । अपीलान्ट ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 264, 265, 266 का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है । उक्त भूमि में से होकर परीक्षण न्यायालय ने रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता कायम करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम नहीं है न ही यह 20 फीट चौडा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 अपने खाते की आराजी पर आने–जाने के लिये पूर्व से ही लघुत्तम मार्ग जो आराजी खसरा नम्बर 312 गै0मु0 रास्ते से होकर जाता है का उपयोग निरन्तर करता चला आ रहा है । इसके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के अन्तर्गत सुगम रास्ता प्रदान करने का प्रावधान नहीं है । अपीलान्ट ग्राम भण्डेडा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 264, 265, 266 का खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है । रेस्पोडेन्ट कम 01 आराजी खसरा नम्बर 276, 277, 880/278 वाके ग्राम भण्डेडा पर आने – जाने के लिए ग्राम भण्डेडा की आराजी खसरा नम्बर 300, 319, 318 की मेड पर व 312 गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 309, 313, 310, 311, 283 व 335 की मध्य स्थित मेड पर होकर रास्ते के रूप में निरन्तर उपयोग करता चला आ रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 01 वर्तमान में भी अपनी खातेदारी की भूमि पर आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 300, 319 व 318 की मेड पर व 312 गै0मु0 रास्ता एवं 309, 313, 310, 311, 283 व 335 की मध्य स्थित मेड पर होकर रास्ते के रूप में निरन्तर उपयोग करता चला आ रहा है । खसरा नम्बर 283 रेस्पोडेन्ट कम 01 के परिचित

रेस्पोडेन्ट कम 01 अपने परिचित की भूमि आराजी खसरा नम्बर 283 में से रास्ता नहीं चाहकर अपीलान्ट के खाते व कब्जे काश्त की भूमि से नाजायज रूप से रास्ता कायम करवाना चाहता है। रेस्पोडेन्ट कम 01 के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक व लघुत्तम रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) पोषनीय नहीं था । परीक्षण न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2019 (1) पेज 403, आरआरटी 2022 (1) पेज 693 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से कैम्प कोर्ट सादेडा में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए परिशिष्ट "क" में लाल लाईनों से दर्शाये गये रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कोर्ट कैम्प सादेडा में ले जाकर दिनांक 24.11.2021 को अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने पुनः मौका रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय के आदेशिका दिनांक 28.07.2021 के अनुसार पुनः रिपोर्ट हेतु आदेश दिये गये मौका रिपोर्ट हेतु सभी पक्षकारान को सूचना दी जानी चाहिए । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि प्राप्त रिपोर्ट पर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट के नोटिस प्रोपर तामील हुए हो, यह स्पष्ट नहीं है । तामील रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं होता है कि लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट के नोटिस तामील हुए या नहीं ?

12. परीक्षण न्यायालय में प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं निर्णय में कही यह स्पष्ट नहीं है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही अन्य वैकल्पिक रास्ता है अथवा नहीं ? जबकि अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि पूर्व ही रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग मौजूद है । अतः ऐसी स्थिति में निर्णय में स्पष्टता होना आवश्यक है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 22.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा